न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सि
आ

प्रकरण संख्या 80/2022

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज0)
—— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स बालाजी एन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री संजय कुमार सैनी पुत्र श्री नंदलाल सैनी, इन्द्रपुरा बस के पास, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
2. श्री नंदलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, निवासी वार्ड नं0 15, सब्जी मंडी के पास, उदय जिला झुंझुनूं। परमेश्वर
3. श्री श्यामलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, निवासी वार्ड नं0 15, सब्जी मंडी क उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।
4. श्री जमीर अहमद पुत्र श्री मनीर अहमद, निवासी वार्ड नं0 23, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस प एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है, संपति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित:–

1 एडवोकट श्री सतीश कुमार शर्मा:– प्रार्थी बैंक की ओर से अनुपस्थित।
2 एडवोकेट श्री संदीप सैनी– अप्रार्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 29.

प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त त प्रकार है कि बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को कुल रूपये कैश क्रेडिट ऋण राशि 90,00,000/– के रू गई ऋण सुविधा दिनांक 18.12.2015 को कैश क्रेडिट ऋण के बाबत उपलब्ध कराई थी व ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी और श्री श्याम लाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी की व्यावसायिक भवन (दुकान) कुआं कानुहाला, सब्जी मंडी के पास, झुंझुनूं रोड, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं स्थित (बैंक मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल 183.01 वर्गगज) को प्रार्थी के हक मे बंधक किय बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी [illegible] के नियमानुसार नही जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 31.05.2021 को एन[illegible]त कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते मे कैश क्रेडिट ऋण खाते [illegible] 31.05.2021 तव शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे ब[illegible] निकलते है। उक्त ऋण खाता 31.05.2021 को एन0पी0ऐ0 घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13 (2) के अन्त ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 14.07.[illegible] को रजिस्टर्ड नोटिस नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नही गई व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि 88,35,067.47/– दिनांक 31.05.2021 तव शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा कराना था, परन्तु ऋणी व जम उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के कब्जे व निलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्राव अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने मे सहायता आवश्यव

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:48 IST
Reason: SelfAttested

कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से डॉक्यूमेन्ट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचार विक्रय एवं अन्तरण (निलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। बैंक सिक्योरिटीज का विव नंदलाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी और श्री श्याम लाल सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी की व्य भूमि व भवन (दुकान) कुआं कानुहाला, सब्जी मंडी के पास, झुंझुनूं रोड, उदयपुरवाटी, जिला राज0) स्थित सम्पत्ति (बैंक मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कुल क्षेत्रफल 183.01 वर्गगज) बैंक व के अनुसार उक्त बंधक सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार मे स्थित है।

सीमाऐं:–

पूर्व मे श्री झूठाराम सैनी की भूमि
पश्चिम मे कॉमन रास्ता
उत्तर मे स्वयं की भूमि
दक्षिण मे कॉमन रास्ता

अतः प्राथी बैंक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, प्रा की मद संख्या 6 मे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक व करवाने, कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारू रूप से विक्रय एवं (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। बार–बार आवाज लग अन्तिम आवाज सांय 5.45 पी0एम0 पर लगाई गई। अन्त मे प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने बहस के दौरान एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन कि प्रार्थी द्वारा एक ही राशि 88,35,067 की वसूली हेतु दो अलग–अलग परिवाद पेश कर रखे है। अप्र प्रार्थी को अब तक 64,50,000 रूपये की राशि जमा करवा दी है एवं शेष राशि भी शीघ्र जमा कर प्रार्थी का खाता एनपीए से बाहर आ चुका है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे

हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं बहस अप्रार्थी के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्र एक ही राशि 88,35,067 की वसूली हेतु दो अलग–अलग परिवाद पेश कर रखे है। अप्रार्थी द्वारा अब तक 64,50,000 रूपये की राशि जमा करवा दी है एवं शेष राशि भी अप्रार्थी द्वारा शीघ्र जमा क का आश्वासन दिया गया है। प्रार्थी का खाता भी एनपीए से बाहर हो चुका है। प्रार्थी अपना पक्ष लिए बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखित दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाकर ज... ...य में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:48 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट,